

(125)

माननीय न्यायालय राजस्व आयुक्त महोदय, ग्वालियर (म०प्र०)

केम्प उज्जैन निग / 3543-III-15

प्रकरण क्रमांक

/2015 निगरानी

गोपाल पिता श्री दीनदयालजी सोनी, उम्र 55 वर्ष, निवासी-ग्राम बिरमावल तहसील व जिला रतलाम (म०प्र०)

—प्रार्थी निगरानीकर्ता

विरुद्ध


- 1- बालाराम पिता श्री अम्बारामजी,
- 2- झम्मकलाल पिता श्री अम्बारामजी,
- 3- धापुबाई बेवा श्री अम्बारामजी,
- 4- पन्नाबाई पुत्री श्री अम्बारामजी पति छोगालाल समस्त जाति कुल्मी, निवासीगण-ग्राम बिरमावल तहसील व जिला रतलाम (म०प्र०)
- 5- कलाबाई पिता श्री अम्बारामजी पति छोगालालजी, निवासी-ग्राम पिपलौदा तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.)

—प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959 म.प्र.  
विरुद्ध आदेश माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय,  
उज्जैन संभाग, उज्जैन प्र.कं. 215/10-11 निगरानी आदेश  
दिनांक 28/08/2015

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित अनुसार निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-






राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3543-तीन/15

जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषक आदि के हस्ताक्षर
23-5-2017	<p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-8-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रचलित निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई है कि उनके पूर्व आदेश दिनांक 28-4-2009 के पालन में तहसीलदार द्वारा अवैध आधिपत्य का निर्धारण किया जाना है जिसके लिये प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन आवश्यक है, इसलिये तहसीलदार द्वारा पुनः सीमांकन का आदेश देने में वैधानिक कार्यवाही की गई है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p style="text-align: right;">                       (मनोज गोयल)                      अध्यक्ष                 </p>